

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5756/12-1(2) दिनांक, अल्मोड़ा 31-03-2015

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

विषय- कुनीगाड़-हिरूली बाजार मो० मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार।


संदर्भ- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा की पत्र सं० 2225/12-1 दि० 31.03.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रस्ताव का ऑन लाईन परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त परियोजना में वन पंचायत भूमि भी प्रभावित हो रही है। वन पंचायत सरपंच कमेटी की अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑन लाईन व हार्ड कापी में प्रस्तुत किया जाय। ऐसी योजनाओं में जिनमें वन पंचायत भूमि आती है उनमें नोडल अधिकारी, देहरादून के द्वारा वन पंचायत कमेटी की अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगी जा रही है।

~~उपरोक्त संदर्भित पत्र।~~

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 & Fax (05962) 230397

पत्रांक 2225/ 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 31.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- आपके द्वारा जनपद- अल्मोड़ा अन्तर्गत कुनीगाड़-हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार का ऑन-लाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 8986/2014)।

महोदय

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन-लाइन प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी। कृपया कमियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

1/आपके द्वारा प्रेषित ऑन-लाइन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली पंचायती भूमि में सम्बन्धित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जिसे याचक विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

2. प्रपत्र पार्ट-II का अवलोकन करने पर बिन्दु संख्या 16 में Recommendation letter (प्रपत्र) संलग्न नहीं है।

भवदीय,

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।